निगम के कई उपायुक्त इधर से उधर

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को कई निगम उपायुक्तों को इधर से उधर कर दिया है। जिसमें मध्य जोन की उपायुक्त ऐंजल भाटी को पश्चिम जोन सौंप दिया है। केशवपुरम जोन की उपायुक्त वंदना राव को अब सिटी एसपी जोन की उपायुक्त बनाया गया है। साउथ जोन के उपायुक्त कुमार अभिषेक को मध्य जोन सौंप दिया गया है। संदीप कुमार को वेस्ट जोन से केशवपुरम जोन भेज दिया है। बादल कुमार को साउथ जोन का उपायुक्त बनाया गया है।वहीं, नामग्याल आंग्मो को नजफगढ़ जोन का उपायुक्त और रोहिणी जोन की उपायुक्त नवनीत मान को बनाया गया है। जबकि मुख्यालय में प्रेस एवं सूचना निदेशालय के निदेशक अमित कुमार से आरपी सेल, विज्ञापन विभाग लेकर श्रमिक, फैक्टरी लाइंसेंस, सेंट्रल लाइंसेंसिंग आदि विभाग दे दिए गए हैं और आईटीएस, मोहित बंसल को सीटी एसपी जोन से विज्ञापन विभाग, आरपी सेल, पीएम विश्वकर्मा और पीएम स्वनिधि का उपायुक्त बनाया गया है। बता दें कि शनिवार को यह आदेश जारी हुआ है।

गिरफ्तारी पर घोषित था 20 हजार का इनाम

नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अरेस्ट

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

अपराध शाखा ने 20 हजार के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस पर नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त व तस्करी करने का आरोप है। आरोपी संग्राम दास (38) को 1500 किमी पीछा करने के बाद कोलकाता, पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार संग्राम दास निवासी बेगमपुर, दिल्ली व मूलरूप से ओडिशा का रहने वाला है। बेगमपुर थाने के केस में इसे भगौड़ा घोषित किया जा चुका था। पुलिस का कहना है कि 20 फरवरी को इसी साल केस दर्ज हुआ था। मामले की जांच के दौरान मानव तस्करी के साक्ष्य सामने आए और परिणामस्वरूप कुल नौ व्यक्तियों (4 पुरुष और 5 महिला) को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में संग्राम दास फरार था। पुलिस दिल्ली, एनसीआर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। आरोपी बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। आखिर में इसे कोलकाता से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान, आरोपी संग्राम दास ने खुलासा किया कि वह उस गिरोह का सरगना है जो नवजात शिशुओं की मानव तस्करी के जघन्य अपराध में शामिल था। वह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ पंजाब, यूपी से नाबालिग ज्यादातर नवजात बच्चों को खरीदते और बेचते थे। यह गिरोह जरूरतमंद गरीब परिवारों को निशाना बनाता था। उनके बच्चों की अच्छी परवरिश का वादा करके उन्हें बच्चा बेचने के लिए लुभाया जाता था। इसके अलावा अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से भी नवजात शिशुओं को चुराया जाता था। बच्चों की देखभाल गिरोह की महिला सदस्य द्वारा की जाती है, ताकि संभावित खरीदार या ग्राहक मिलने तक किसी को उन पर चोरी का संदेह न हो। अभी इनके दिल्ली और हरियाणा के चार मामलों में शामिल रहने का खुलासा किया गया हैं।

ठक ठक गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार, मनी एक्सचेंजर को बनाया था निशाना

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

- चुराये थे सात हजार आस्ट्रेलियन डॉलर

साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ठक ठक गिरोह के दो बदमाशों को अरेस्ट किया है। इन्होंने पंजाबी बाग एरिया में मनी एक्सचेंजर के सात हजार आस्ट्रेलियन डॉलर चुराये थे। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब चार लाख के आसपास होती है। इनसे चुराई गई विदेशी मुद्रा, दो मोबाइल फोन और एक स्कूटी बरामद हुई है। गिरफ्त में आये बदमाशों के नाम अजय और गौतम उर्फ विजय है।

डीसीपी अंकित चौहान के अनुसार एक सितंबर को पंजाबी बाग इलाके में एक मनी एक्सचेंजर की कार से इस गैंग ने आस्ट्रेलियन डॉलर चोरी किए थे। इस घटना को लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। पश्चिम विहार निवासी एक्सचेंजर ने पुलिस को बताया कि वह कार से घर लौट रहा था। रास्ते में इस गैंग ने उसकी कार से मौका देख विदेशी मुद्रा चुरा ली। साउथ पुलिस को इस वारदात में शामिल बदमाशों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें ट्रैप लगाकर शेख सराय रेड लाइट के पास से पकड़ा गया। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया वे बाइक पर ग्रुप में चलते हैं। वे व्यवसायियों, सुनारों, लक्जरी वाहनों में चलने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाते थे। ये टारगेट की गई गाड़ी के चालक को टायर पंचर या तेल निकलने के बारे में बताकर गुमराह करते थे। जैसे ही चालक गाड़ी रोक चैक करने उतरता गिरोह के सदस्य कार के अंदर रखे कीमती सामान को चोरी कर लेते थे। आरोपी अजय मदनगीर इलाके का रहने वाला है। वह चार मामलों में शामिल रहा है। वहीं दूसरे आरोपी पर भी चार केस दर्ज मिले हैं।

हेड कांस्टेबल की बहादुरी और सूझबूझ से टला हादसा

- घर में लगी आग के बीच घुसकर एलपीजी सिलेंडर की बुझाई आग

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

हौज खास इलाके में अलर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ की बहादुरी और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। दरअसल एक घर में आग लगी हुई थी और हेड कांस्टेबल सुनील भंडारी बिना अपनी जान की परवाह किये आग के बीच घर में घुस गये। उन्होंने सबसे पहले एलपीजी सिलेंडर में लगी आग को गीले कपड़े और पानी की मदद से बुझाया।

डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि हेड कांस्टेबल सुनील भंडारी, शाहपुर जाट इलाके में गश्त पर थे। एक सितंबर को रात करीब 10 बजे उन्होंने हंगामा सुना और तुरंत वहां पहुंच गये। उन्होंने काफी भीड़ देखी और देखा कि एक घर के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी हुई है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सुनील भंडारी ने तेजी से कार्रवाई की और अपनी सुरक्षा के लिए बिना किसी डर के घर में प्रवेश किया। आग भड़काने वाले गैस सिलेंडर को गीले कपड़े से ढककर और पानी डालकर आग को बढ़ने से रोक दिया। इस प्रकार उनकी तत्परता और बहादुरी से चार मंजिला इमारत में आग को आगे फैलने से रोका जा सका और कई लोगों की जान बचाई गई। इस साहसिक कार्य के लिए सीनियर अफसरों ने उन्हें पुरस्कृत करने की बात कही है।

कार से टक्कर, 10 मीटर तक घसीटा, युवक की मौत

एजेंसी ⏭नई दिल्ली

कनॉट प्लेस में कार से कथित तौर पर टक्कर मारे जाने और करीब 10 मीटर तक घसीटे जाने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को घटना के बाद कार चालक मौके से भाग गया था, जिसे अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कार की चपेट में आने के बाद लेखराज (45) को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेखराज फुटपाथ पर जीवन-यापन करते थे। पुलिस अधिकारी के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से 28 वर्षीय चालक शिवम दुबे का पता लगाया गया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश के मूल निवासी दुबे ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर में रहने वाले अपने एक दोस्त से कार ली थी और वह किसी से मिलने के लिए कनॉट प्लेस गया था। अपराह्न करीब 3.25 बजे लौटते समय दुबे ने कार से लेखराज को कथित तौर पर टक्कर मार दी, जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में बाराखंभा की तरफ रोड के पास सड़क पार कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि लेखराज कार के पहियों के नीचे फंस गए, लेकिन दुबे कथित तौर पर गाड़ी चलाता रहा। करीब 10 मीटर तक घसीटे जाने के बाद लेखराज को सड़क पर छोड़कर दुबे मौके से फरार हो गया। अधिकारी ने बताया कि लेखराज को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कनॉट प्लेस इलाके से भागने के बाद दुबे ने कार वापस अपने दोस्त को सौंप दी। सीसीटीवी की जांच की गई और कार के मालिक की पहचान की गई। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।

75 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीदने को मजबूर हैं लोग : सचेदवा

नई दिल्ली। यह बेहद दुखद है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की लापरवाही के कारण दिल्ली के लोग सब्जी विक्रेताओं से लगभग 75 रुपये प्रति किलो की दर से एक आवश्यक रसोई वस्तु प्याज खरीदने को मजबूर हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने शनिवार को केजरीवाल सरकार को घेरते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के आजादपुर मंडी में शनिवार को विभिन्न किस्मों के प्याज 35 से 45 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं। 20 अगस्त तक प्याज 15 से 20 रुपये प्रति किलो की दर से, गुणवत्ता के अनुसार, थोक बाजारों में बिक रहा था। यहां तक कि खुदरा बाजार में भी यह 20 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। सचदेवा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की काम नहीं, केवल राजनीति की नीति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोग केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं।

आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने कहा केजरीवाल 'आपराधिक साजिश' में शामिल थे

एजेंसी, दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दायर अपने नवीनतम पूरक आरोप पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश में शुरुआत से ही शामिल थे। सीबीआई ने मामले में पांचवां और अंतिम आरोप पत्र दायर कर अपनी जांच पूरी की। उसने आरोप लगाया कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के संबंध में निजीकरण का विचार था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह द्वारा नीति तैयार की जा रही थी, तब उन्होंने (केजरीवाल ने) मार्च 2021 में अपनी पार्टी 'आप' के लिए वित्तीय सहायता की मांग की थी। सिसोदिया इस मामले में सह-आरोपी हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा, "केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी (आप) के मीडिया एवं संचार प्रभारी तथा सह-आरोपी विजय नायर दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों से संपर्क साध रहे थे और अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे। आप' ने इन आरोपों से इनकार किया है। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वह कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में तिहाड़ में बंद थे।

वकील संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को दिलवाते हैं न्याय : आतिशी

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

- द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल हुई कानून मंत्री

भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबसे महत्वपूर्ण हैं वह संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते हैं। आप सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेगी। यह बात शनिवार को दिल्ली की कानून मंत्री आतिशी ने द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 17वें स्थापना दिवस समारोह में कही। इस समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन व हाई कोर्ट जस्टिस प्रतिभा एम सिंह भी शामिल हुई। आतिशी ने कहा कि आप सरकार देश की पहली ऐसी सरकार जिसने वकीलों को उनके चैम्बर के लिए 200 तक यूनिट फ्री बिजली दी, घरेलू उपभोक्ताओं की तरह बिजली सब्सिडी भी दी। चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत केजरीवाल सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया। उन्होंने साझा किया कि, चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अब तक लगभग 28,000 वकील एनरोल हुए, कोरोना के दौरान ये स्कीम वकीलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। उन्होंने कहा कि हमारे देश का जब संविधान बना था तब देश में में जाति, लिंग, धन, शिक्षा आधारित कई असमानताएं हैं। लेकिन बाबा साहेब ने, संविधान ने भविष्य की सोच रखते हुए सभी को को बराबरी का अधिकार मिला।

आरोपी 200 से ज्यादा वारदातों में रह चुके शामिल

झपटमारी के बाद फाइव स्टार होटल में करते थे मौज मस्ती, दो गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭नई दिल्ली

झपटमारी की करीब 200 वारदातों में शामिल रहे दो बदमाशों को नई दिल्ली जिला पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपी वारदात करने के बाद चंडीगढ़ और मनाली के फाइव स्टार होटलों में ठहरकर मौजमस्ती करते थे। इनके नाम वरुण कुमार और विशाल शर्मा बताये गये हैं। इनसे एक बाइक, क्रेटा कार और सोने की चेन बरामद हुई है। एनसीआर के अलावा हरियाणा, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में भी इनके खिलाफ झपटमारी, डकैती और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज थे।

पुलिस के अनुसार पिछले एक महीने कनॉट प्लेस, मंदिर मार्ग और तिलक मार्ग इलाके में स्नैचिंग की कई घटनाएं सामने आई थी। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्पेशल स्टाफ की टीम को जांच में लगाया गया था। सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण करने के बाद दो लोगों पर जांच टिकी। इसके बाद महिपालपुर एरिया से क्रेटा कार बरामद हुई। यह कार सोनीपत हरियाणा निवासी विशाल शर्मा के नाम पर रजिस्ट्रर्ड मिली। विशाल के 150 से ज्यादा मामलों में शामिल होने का पता चला। जांच में पता चला कि 31 अगस्त को इन्हें बहालगढ़ पुलिस ने किसी केस में पकड़ा है। इसके बाद प्रोडक्शन वारंट पर इन्हें दिल्ली लाया गया। क्रेटा कार को विशाल ने एक्सिस बैंक से लोन पर खरीदा था। इन पर 2011 में मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। आजकल बदमाश दिल्ली पुलिस से बचने के लिए सोनीपत शिफ्ट हो गए थे और पानीपत, मोहाली, चंडीगढ़ और हरिद्वार में वारदात कर रहे थे।

मायापुरी फ्लाईओवर का नारायणा-राजा गार्डन 'कैरिजवे' मरम्मत कार्य के वास्ते एक महीने के लिए बंद

एजेंसी ⏭नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में मायापुरी फ्लाईओवर का नरायणा-राजा गार्डन 'कैरिजवे' मरम्मत कार्य के वास्ते एक महीने के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने एक परामर्श में कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 'कैरिजवे' की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जो 30 दिनों तक यात्रियों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान 'कैरिजवे' का दूसरा हिस्सा यातायात के लिए खुला रहेगा। पुलिस ने बताया कि धौला कुआं, नारायणा से राजा गार्डन की ओर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे फ्लाईओवर पर चढ़ने के बजाय उसके शुरुआती बिंदु पर मौजूद सर्विस रोड का इस्तेमाल करें और मायापुरी चौक की लाल बत्ती से होकर गुजरें। परामर्श में यात्रियों से सहयोग मांगा गया है और उनसे प्रभावित मार्ग पर यात्रा से बचने तथा सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया है। पुलिस ने लोगों को सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इससे यातायात का सामान्य प्रवाह बाधित होता है। परामर्श में कहा गया है कि अस्पताल, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाने के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **नरेश कुमार उर्फ बिट्टल** पुत्र श्री धर्म सिंह निवासी ईश्वर कॉलोनी, दादा भैया मंदिर के पास, बवाना, दिल्ली ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 6/2022 धारा 392/411/34 भा.द.स. के तहत सिविल लाइंस, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **नरेश कुमार उर्फ बिट्टल** मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **नरेश कुमार उर्फ बिट्टल** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा धारा 82 Cr.P.C. की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि सूचना रिपोर्ट संख्या 6/2022 धारा 392/411/34 भा.द.स. के तहत सिविल लाइंस, दिल्ली के उक्त अभियुक्त **नरेश कुमार उर्फ बिट्टल** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए **08.11.2024** को हाजिर हो।

आदेशानुसारः श्री गौरव गोयल,
न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी–06 (केन्द्रीय),
कमरा नं. 247,
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/11898/N/2024

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr. P. C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **श्री अमित पुत्र रति राम,** निवासी 15-A, रिशाल गार्डन, गांव रनहोला शिफीपुर, रनहोला, दिल्ली। ने **CC. No. 2537/17 U/s 138 NI Act.,** के अंतर्गत थानाः **कोतवाली,** दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **श्री अमित** मिल नही रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त **श्री अमित** फरार हो गया है (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **CC. No. 2537/17 U/s 138 NI Act.,** थानाः **कोतवाली,** दिल्ली के उक्त अभियुक्त **श्री अमित** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **15.10.2024** को या इससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
दिव्या गुप्ता, MM, (NI Act)-05,
कमरा नंबर 02, ग्राउंड फ्लोर तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/11668/N/2024

फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : जी-4, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028
Tel: 011-25774212-214, Email Id: rekha.srivastava2016@gmail.com
CIN: L52324DL1981PLC012033

42वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार बिजनेस का सम्पादन करने के लिये **फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड** के शेयरधारकों की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार 30 सितम्बर 2024 को पूर्वा. 10.30 बजे अमराई फार्म्स, खसरा नं. 375, गांव कापसहेड़ा, निकट पुलिस चौकी, पुरानी दिल्ली-गुड़गांव रोड, कापसहेड़ा, नई दिल्ली-110037 में आयोजित की जाएगी।

42वीं एजीएम की सूचना और वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रतियां सभी शेयरधारकों को जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी के आरटीए, पूर्वा शेयर रजिस्ट्री (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं, को भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, शेयरधारक जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं है, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति या तो कम्पनी की वेबसाइट (http://fortuneinternational.in) अथवा बीएसई की वेबसाइट (https://www.bseindia.com) से प्राप्त की जा सकती है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार, 24 सितम्बर 2024 से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2024 तक दोनों दिन मिलाकर, एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगे।

सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा एजीएम के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली ("दूरस्थ ई-वोटिंग") का उपयोग करते हुये 42वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी प्रस्तावों पर अपना मत देने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :-

- 42वीं एजीएम की सूचना में विनिर्दिष्टानुसार सामान्य बिजनेस का सम्पादन इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जा सकता है।
- दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार 27 सितम्बर 2024 (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) को आरम्भ होगी और रविवार 29 सितम्बर 2024 (अप. 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत दूरस्थ ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा मत देने की पात्रता निर्धारित करने के लिये कट ऑफ तिथि 23 सितम्बर 2024 है।
- कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जन करता है और वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चत् कम्पनी का सदस्य बनता है और कटऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर 2024 के अनुसार शेयरधारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर एक आग्रह भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत है तो मतदान करने के लिये मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- सदस्य नोट करें कि (ए) मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करवाई जाएगी, (बी) जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई वोटिंग के माध्यम से एजीएम से पहले अपना मतदान कर दिया है वे एजीएम में भी उपस्थित हो सकते हैं परन्तु अपना मत पुनः देने के पात्र नहीं होंगे, (सी) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा मेनटेन किये गये लाभप्राप्तकर्ता मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज है केवल वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र के माध्यम से एजीएम में मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- 42वीं एजीएम की सूचना डाउनलोड करने हेतु कम्पनी की और बीएसई की वेबसाइट www.fortuneinternational.in/www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
- किसी पूछताछ के सम्बन्ध में आप सदस्यों हेतु बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूएस) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों हेतु दूरस्थ ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या टोलफ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते फॉर्च्यून इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता/-
निवेदन भारद्वाज
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन-00040191)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.09.2024